

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारी02 अन्तर्जनपदीय पशु तस्कर गिरफ्तार; अवैध असलहा, कारतूस व नकदी बरामदपूर्व की घटना-

दिनांक 16.03.2024 को वादी मुकदमा श्याम नरायण यादव पुत्र चौथी राम यादव सा0 सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी मुकदमा की दो भैंस व एक पड़िया चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2024 धारा 379 भादवि बनाम के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 19.04.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 1.सुभान पुत्र नजरुद्दीन निवासी बघरवारा थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र 33 वर्ष 2.अंसार पुत्र पप्पू निवासी लेदरही थाना खेताराय जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष को माल गोदाम तिराह मूसेपरु रेलवे क्रासिंह के पास से 02 तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं भैंस चोरी के शेष 1300 रूपयें के साथ समय 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम सुभान पुत्र नजरुद्दीन सा0 बघरवार थाना सरपतहां जनपद जौनपुर व मु0अ0सं0 134/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम अंसार पुत्र पप्पू सा0 लेदरही थाना खेताराय जनपद जौनपुर के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोग जानवर खरीदने बेचने का काम करते हैं। हम लोग दिन में घूमफिर कर एकांत में बंधे हुए जानवरों की रेकी करते हैं और रात में चुरा ले जाते हैं लगभग एक माह पहले हम दोनों व्यक्ति मिलकर एक भैंस, एक पड़िया जिसकी उम्र करीब डेढ़ वर्ष और एक डेढ़ माह का पाड़ा बच्चा सर्फुद्दीनपुर सड़क के किनारे से चुरा ले गये थे बेचकर सब पैसा हम दोनों लोग मिलकर खर्च कर दिये थे। सुभान द्वारा बताया गया कि साहब उसी पैसों में से ये 700 रूपये मेरे पास बचे हैं शेष खर्च हो गये। अंसार द्वारा बताया गया कि मेरे पास उसमें से केवल 600 रूपये बचे हैं। तमंचा कारतूस हम लोग पकड़े जाने पर लोगों को डराने व अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.सुभान पुत्र नजरुद्दीन निवासी बघरवारा थाना सरपतहां जनपद जौनपुर उम्र 33 वर्ष
- 2.अंसार पुत्र पप्पू निवासी लेदरही थाना खेताराय जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष

बरामदगी -

- 1.एक तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त सुभान के पास से
- 2.एक तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त अंसार के पास से
- 3.मु0अ0सं0- 87/24 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 700/- रूपये अभियुक्त सुभान के पास से
- 4.मु0अ0सं0- 87/24 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 600/- रूपये अभियुक्त अंसार के पास से

आपराधिक इतिहास-अभियुक्त सुभान -

- 1.मु0अ0सं0-665/12 धारा 379/511 भादवि थाना सरपतहां जनपद जौनपुर
- 2.मु0अ0सं0-287/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरपतहां जनपद जौनपुर
- 3.मु0अ0सं0-229/24 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0- 87/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 5.मु0अ0सं0 133/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

अभियुक्त अंसार-

- 1.मु0अ0सं0-229/24 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 87/24 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 134/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़
- 2.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी इटौरा मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना पवई

नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म कराने एवं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार पूर्व की घटना-

दिनांक 20.03.2024 को वादिनी/पीड़िता थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रंजना यादव उर्फ दीपक यादव निवासी दरियागंज जनपद बक्शा जौनपुर द्वारा वादिनी मुकदमा को शाहआलम आरकेस्ट्रा ग्रुप पवई में गाना गाने के लिए ले गया और प्रोग्राम समाप्त होने के उपरान्त रंजना यादव द्वा खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे नशे में हो जाने पर राहुल पुत्र रामभरोसे निवासी सिद्धीकपुर थाना सराख्वाजा जनपद जौनपुर द्वारा वादिनी के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया गया तथा रंजना यादव उर्फ दीपक द्वारा वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल देना व पूछताछ करने पर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करके अपमानित किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 75/24 धारा 376,328 भादवि 67 आईटी एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम रंजना यादव उर्फ दीपक यादव पुत्र अज्ञात निवासी दरियागंज थाना बक्शा जौनपुर आदि 2 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 20.04.2024 को उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रंजना यादव उर्फ दीपक यादव (किन्नर) पुत्र महेन्द्र यादव निवासी दरियावगंज थाना बक्शा जनपद जौनपुर को खैरुद्दीनपुर पुल के पास से समय करीब 08.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 328 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 75/24 धारा 376, 328 भादवि 67 आईटी एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:- रंजना यादव उर्फ दीपक यादव (किन्नर) पुत्र महेन्द्र यादव निवासी दरियावगंज थाना बक्शा जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह मय हमराह थाना पवई आजमगढ़।

थाना- निजामाबाद

छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 13.03.24 को समय करीब 07.30 बजे, विपक्षी अनिल यादव पुत्र लालसा यादव निवासी ग्राम हजारेमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वादिनी/पीड़िता के साथ छेड़खानी किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 14.03.2024 को मु0अ0सं0 108/24 धारा -354,323,504भादवि 3(1)द,3(1)ध,3(2)5ए एससी एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अनिल यादव पुत्र लालसा यादव निवासी ग्राम हजारेमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 20.04.24 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल यादव पुत्र लालसा यादव निवासी ग्राम हजारेमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र लगभग 34 वर्ष को उसके घर ग्राम हजारेमलपुर से समय करीब 05.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 108/24 धारा -354,323,504भादवि 3(1)द,3(1)ध,3(2)5ए एससी एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - अभियोग उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अनिल यादव पुत्र लालसा यादव निवासी ग्राम हजारेमलपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र लगभग 34 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना दीदारगंज
किशोरी को भगाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 12.04.24 को वादिनी मुकदमा ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी मुकदमा की लड़की घर से कहीं चली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 95/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत करायी थी विवेचना से अभियुक्त 1.ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष 2.शीला मिश्रा पत्नी रामसेवक मिश्रा ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा-366,368,506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी थी जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 20.04.24 उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष 2. शीला मिश्रा पत्नी रामसेवक मिश्रा ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्तों के घर ग्राम गोसडी से समय करीब 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0- 95/24 धारा 363 भादवि बढ़ोत्तरी धारा-366,368,506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।
2. शीला मिश्रा पत्नी रामसेवक मिश्रा ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी अवैध-तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 20.04.2024 को SI पवन कुमार सिंह हमराह द्वारा अभियुक्त मुतुर्जा पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम वीरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ को ग्राम वीरपुर से समय करीब 08:00 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 145/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मुतुर्जा पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम वीरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़। (HS NO – 10B)

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 145/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं. 18/2019 धारा 60(3) Ex Act & 60 ट्रेड मार्क अधि0 व 272/273/419/420/467/468/471 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु.अ.सं. 527/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
3. मु.अ.सं. 145/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SI पवन कुमार सिंह, HC ध्रुवनारायण सिंह, HC आनन्द सागर तिवारी, HC नागेश्वर वर्मा, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।